उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-7/379/एक-1-2017-1(55)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 27 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्र संख्या-683/डी0एल0आर0सी0/2016-17, दिनॉक 13.12.2016 द्वारा एन0यू0पी0पी0एल0 3X360 मेगावॉट घाटमपुर तापीय विद्युत गृह (जी0टी0पी0एस0एन0एच-86) से जी0टी0पी0 बाउण्ड्री तक पहुच मार्ग बनाने हेतु ग्राम रामपुर तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर स्थित भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5 (3) चारागाह के नाम दर्ज गाटा संख्या 702 मि0 रकबा 2.760 हे0 व गाटा संख्या 733 रकबा 0.150 हे0 कुल 02 किता रकबा 2.910 हे0 के ग्राम रामपुर तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर स्थित भूमि गाटा संख्या 687मि0 रकबा 1.209 हे0, गाटा संख्या 687मि0 रकबा 0.410 हे0, गाटा संख्या 687मि0 रकबा 0.339 हे0, गाटा संख्या 347मि0 रकबा 0.410 हे0 एवं गाटा संख्या 701मि0 रकबा 0.542 हे0 कुल 05 किता कुल रकबा 2.910 हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 1-क संक्रमणीय भूमिधर के नाम दर्ज है, से विनिमय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर के प्रस्ताव/संस्तुति के आलोक में सार्वजनिक उपयोग चारागाह खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन व विनिमय व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम रामपुर तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर स्थित चारागाह खाते की भूमि गाटा संख्या 702मि0 रकबा 2.760 हे0 व गाटा संख्या 733 रकबा 0.150 हे0 कुल 02 किता कुल रकबा 2.910 हे0 श्रेणी 5(3) का श्रेणी परिवर्तन किये जाने एवं धारा-101 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) एन0यू0पी0पी0एल0 3X360 मेगावॉट घाटमपुर तापीय विद्युत गृह (जी0टी0पी0एस0एन0एच0-86) से जी0टी0पी0 बाउण्ड्री तक पहुच मार्ग बनाने के व्यापक जनहित के दृष्टिगत चारागाह खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है।

(2) चारागाह भूमि का श्रेणी परिवर्तन व विनिमय स:शुल्क किया जा रहा है।

(3) गाटा संख्या 702मि0 रकबा 2.760 हे0 व गाटा संख्या 733 रकबा 0.150 हे0 कुल 02 किता कुल रकबा 2.910 हे0 श्रेणी-5 (3)ग चारागाह खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहण किये जाने तथा उपयोगिता के आधार पर श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय खाते की भूमि ग्राम रामपुर तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर स्थित भूमि गाटा संख्या 687मि0 रकबा 1.209 हे0, गाटा संख्या 687मि0 रकबा 0.410 हे0, गाटा संख्या 687मि0 रकबा 339 हे0, गाटा संख्या 347मि0 रकबा 0.410 हे0 एवं गाटा संख्या 701 मि0 रकबा 0.542 हे0 कुल 05 किता रकबा 2.910 हे0 भूमि का विनिमय कर चारागाह दर्ज किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in

(4) लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र मे तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. कलेक्टर, कानपुर नगर द्वारा इस आदेश की प्रतियॉं कलेक्टर न्यायालय के सूचना-पट पर, तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, कानपुर नगर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-379(1)/एक-1-2017-1(55)/2016 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in